



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,  
इन्दौर - 452 001

क्रमांक : गोप./दिव्यांग/2025/60

दिनांक: 6 FEB 2025

## अधिसूचना

सर्वसंबंधित को सूचनार्थ एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 10 जनवरी 2025 को सम्पन्न कार्यपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी. से प्राप्त पत्र क्र. F-No-6-2/2013 (SCT) जनवरी 2019 के बिन्दु क्रं-12 में उल्लेखित पेरा अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले दिव्यांगजनों को अतिरिक्त समय लिखित परीक्षा में दिये जाने संबंधी दिशा-निर्देश मान्य किये गये हैं जो निम्नानुसार है :-


"The word "extra time of additional time" that is being currently used should be change to "comopensatory time" and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for person who are allowed used of scribe/reader/lab assiastant. All the candidtes with benchmarks disability availing the the facility of scribe may be allowed additional time of minmum of one hour for examination of 03 hours' duration in case the duration of the examination is less than an hour, then the duration of addional time should be allowed on pro-rata basis. Additional time should not be less then 05 mintes and should be in the multiple of 05."

  
कुलसचिव

पृष्ठा. क्रमांक : गोप./2025/60  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 6 FEB 2025

1. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संबंधित महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की और इस निवेदन के साथ अग्रेषित है कि वे कृपया संबंधित परीक्षार्थियों को इससे अवगत कराने की समूचित व्यवस्था करें ।
2. कुलगुरु के सचिव/कुलसचिव कार्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
3. परीक्षा नियंत्रक की और सूचनार्थ प्रस्तुत ।
4. उपकुलसचिव परीक्षा विभाग, देवि अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रस्तुत ।
5. उपकुलसचिव प्रशासन विभाग, देवि अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रस्तुत ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग, देवि अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
7. प्रभारी, आई.टी. सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।

  
उपकुलसचिव (गोपनीय )

